JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के विकास में महिला किसान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

लेखक

➢ *प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद*

राजनीति विज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज

➢ *सत्येंद्र कुमार पटेल (शोधार्थी)*

राजनीति विज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज

मोबाइल नंबर – 8009232959, इ- मेल- satyendrapatel229@gmail.com

➢ *अनामिका पुंडीर (शोधार्थी)*

राजनीति एवम मानवाधिकार विभाग

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्यप्रदेश

Pundirshanu14@gmail.com

शोध सार :

भारत में महिला किसान कृषि और इससे संबंद्धित क्षेत्रों की रीढ़ है। 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आन्दोलन में महिला किसानों के द्वारा सहभागिता ने किसानों के साथ महिला कृषकों के मुद्दों को भी विमर्श के केंद्र में ला दिया। महिला कृषक खेतों में केवल फसल उगाने का ही कार्य नहीं करतीं, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और गैर-वनोपज जैसे अलग-अलग तरह के कई कार्यों को करती हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान देती है। खेतों में वे बिना आधुनिक कृषि उपकरणों के, हाथ से किए जाने वाले कठिन कार्यों को करती हैं, खासकर खेतों में रोपाई, निराई, गुड़ाई और कटाई। परंतु महिलाओं के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले इस योगदान को कमतर आंका जाता है क्योंकि हम केवल भुगतान वाले कार्यों को ही काम की श्रेणी में रखते है। सामाजिक धारणाएं महिला किसानों को एक किसान के तौर पर नहीं बल्कि कृषक सहायक के रूप में देखती है। खेतों में कार्य करने वाली अधिकांश महिलाओं के पास भू स्वामित्व न होने के कारण एक किसान के तौर पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाती है। यह शोध पत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करता है।

शब्द कुंजी – किसान, महिला कृषक, खेतिहर मज़दूर, भू -स्वामित्व।

परिचय: आर्थिक विकास में महिला कृषकों की भूमिका

आज़ादी के पश्चात भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण हुआ। तीव्र औद्योगीकरण के पश्चात भी भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और कृषि के माध्यम से जीविकोपार्जन करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 70 फीसदी के लगभग आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत में कुल कार्य बल का 54.6% आबादी कृषि एवम् इससे सम्बंधित कार्यकलापों में लगा हुआ है। स्वतंत्रता के समय कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 50% था परंतु वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 17 फीसद के लगभग है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान में लगातार कमी के पश्चात भी इस क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोरोना काल था जब लॉकडाउन के कारण सभी क्षेत्रों में तीव्र गिरावट दर्ज की गई तो वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में लगभग 3.4% की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। संकटकाल में कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि कृषकों के कड़ी मेहनत का परिणाम है।

भारत में कृषि क्षेत्र में कुल जोतों की संख्या औसतन 14.64 करोड़ है। देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में संलग्न है। 2009-10 तक भारत की 53 फीसदी श्रम शक्ति कृषि कार्य में लगी हुई थी। जब हम किसान की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में एक पुरुष किसान की छवि बन कर आती है। महिलाओं को किसान कम और गृहणी ज्यादा माना जाता है लेकिन जब घर का पुरुष रुपए कमाने शहरों की ओर जाता है तो महिलाएं ही घर के कार्यों के साथ भी करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ महिलाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। ग्रामीण भारत की 84 % महिलाएं कृषि अथवा इससे सम्बन्धित कार्यों में संलग्न होकर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करती है बल्कि अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को भी गतिमान बनाए हुए है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं अधिक संख्या में संलग्न है जिससे कृषि उत्पादन संभव एवम सफल बनता है। कृषि व्यवस्था में महिला कृषकों एवम खेतिहर श्रमिकों के अमूल्य योगदान के बाद भी उनके मजदूरी को सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। निश्चित तौर पर हम कह सकते है कि कृषि तंत्र का बोझ महिलाओं ने उठा लिया है फिर भी वो किसान के रूप में पहचान के संकट से गुजर रही है।

महिला किसान:

संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 15 अक्टूबर 2008 को पहला अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया था | जिसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है | इसका उद्देश्य कृषि एवम ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है | ग्रामीण महिलाएं विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की चालक हैं।

भारत में किसानों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है तो वहीं दूसरी ओर कृषि मजदूरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही फिर चाहे पुरुष किसान हो या महिला किसान। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल किसानों की संख्या 10.36 करोड़ थी जिसमें पुरुष किसान 7.82 करोड़ एवं महिला कृषकों की संख्या 2.53 थी। 2011 कि जनगणना में इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई जिसमें कुल किसानों की संख्या 9.59 करोड़ थी तो वही पुरुष कृषकों की संख्या 7.30 करोड़ और महिला किसानों की संख्या 2.28 करोड़ थी। कृषकों की संख्या में सतत गिरावट किसानों के संकट की स्थिति को दर्शाता है।

एक तरफ जहां किसानों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान खेती के संकट के कारण शहरों की ओर कमाने चले गए तो कुछ खेतिहर मजदूर के रूप में दूसरे के खेतों में कार्य करने लगे। इस तरह से लगातार किसानों की संख्या में कमी तो दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 2001 में कुल खेतिहर मजदूरों की संख्या 6.34 करोड़ थी जिसमें 4.11 करोड़ पुरुष खेतिहर मजदूर तथा 2.23 करोड़ महिला खेतिहर मजदूर थी। 2011 में कुल खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़कर 8.61 करोड़ हो गई जिसमें पुरुष खेतिहर मजदूरों की संख्या 5.52 करोड़ था महिला खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़कर 3.09 करोड़ हो गई।

जनगणना वर्ष	कुल किसान (करोड़ में)	पुरुष किसान (करोड़ में)	महिला किसान (करोड़ में)	कुल खेतिहर मजदूर(करोड़ में)	पुरुष कृषि मजदूर (करोड़ में)	महिला कृषि मजदूर (करोड़ में)
2001	10.36	7.82	2.53	6.34	4.11	2.23
2011	9.59	7.30	2.28	8.61	5.52	3.09

महिला किसानों की समस्याएं एवं इसके कारण:

औपचारिक अर्थव्यवस्था में लोगों के परिश्रम और उनके परिश्रम फल को ग्राफ और आंकड़ों में दर्शाते हैं लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी होता है जिसमें बड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व का अभाव होता है। हम यह कहते है कि " औरते आधा आसमान है।" जिसका तात्पर्य हम यह कह सकते है कि महिलाएं आधी धरती की जुताई, फसलों की बुवाई एवं इसकी कटाई करती है। ये अत्यधिक श्रम तो करती हैं परंतु इनके श्रम के महत्व को नजरंदाज किया जाता है। भारत में महिला किसानों की समस्याओं का हम अग्र लिखित शीर्षकों के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे।

महिला किसान एवं महिला खेतिहर श्रमिक

खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 32% है। इसके अतिरिक्त 48 फीसदी महिलाएं कृषि से सम्बंधित अन्य रोजगारपरक कार्यों में संलग्न है। लोकसभा में प्रस्तुत 2021 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष क्रियाशीलता घटी है और महिलाओं के क्रियाशीलता में वृद्धि हुई है अर्थात समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि क्षेत्र में अत्यधिक सक्रीय है।

उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक हो जाने के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने निवेश किया और सरकार ने भी विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के निर्देश पर इन कम्पनियों द्वारा कृषि हेतु बनाए गए नए यंत्रों, कीटनाशकों, ज़हरीले रसायनिक उर्वरकों का किसानों द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसमें सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी भी दी गई। निजी कम्पनियों ने भी किसानों से संकर बीज, उन्नत तकनीक एवं उर्वरकों रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया ताकि किसानों को लाभ मिले। इस कदम से कम्पनियों को तो अधिकाधिक लाभ हुआ परन्तु इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि किसानों का परम्परागत देशी बीजों से जुड़ाव खत्म हो गया और महंगे संकर बीज, जहरीले कीटनाशकों एवं उर्वरकों ने खेती की लागत को बढ़ा दिया तो दूसरी ओर फसल का उचित दाम न मिलने के कारण किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा हो गया। किसानों ने अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु आय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में शहरों, महानगरों की ओर प्रस्थान किया तो खेती का पूरा जिम्मा महिलाओं के पास आ गया। अब महिलाएं खेती तो करती है लेकिन एक किसान के पहचान से वंचित है वहीं दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप छोटे भूत जोतो वाले किसान की संख्या दिन प्रतिदिन घटती गई अतः अब यह जीविकोपार्जन के लिए दूसरे के खेतों में खेतिहर मजदूर के रुप में कार्य करने लगे।

लैंगिक भेदभाव:

ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला के कार्यों के बारे में एक अलग अवधारणा है। विशेष तौर पर महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य के महत्व को या तो स्वीकार नहीं किया जाता है या पुरुषों की तुलना में कमतर करके आंका जाता है। जबकि महिलाएं कई रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। उत्पादक की भूमिका में महिलाएं अपने श्रम के द्वारा बाजार के लिए अथवा अपने घरों के लिए चीजों का उत्पादन करके रुपये कमाती है। माँ के रूप में बच्चे का पालन पोषण करती है।

भू स्वामित्व:

भारत में कृषि श्रमबल में महिलाओं का योगदान 42% है जो क्या दर्शाता है कि भारत में *कृषि का नारीकरण* धीरे धीरे बढ़ रहा है परंतु इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि कुल खेती योग्य भूमि का 83% हिस्सा पुरुष किसानों के स्वामित्व में है। वही दूसरी ओर केवल 2% महिलाओं के पास खेती योग्य भूमि है। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार भारत विश्व के 15 उन देशों में शामिल है जहां पर महिलाओं को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार में परंपरागत नियम कानून सबसे बड़े अवरोध का कार्य करते है। *दाननम्मा बनाम अमर वाद (*2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की उन जटिलताओं को स्पष्ट किया जो कि बेटियों के उत्तराधिकार में अवरोध का कार्य कर रहे थे। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण इन कानूनों का व्यवहारिक स्तर पर प्रभाव होने में कठिनाई है। बिहार जैसे राज्य में कृषि क्षेत्र में कुल श्रमबल का 80% हिस्सा महिलाओं का है लेकिन केवल 4% महिलाएं भू स्वामित्व रखती है जिसके कारण इन्हें किसान का दर्जा हासिल है शेष महिलाओं की स्थिति खेतिहर श्रमिकों की तरह है।

श्रम:

महिला किसानों पर दोहरा दबाव रहता हैं पहले तो उन्हें घर के सभी कार्य करने होते है, सबके लिए भोजन का प्रबंध करती है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था फिर घंटों भर खुले आसमान के नीचे खेतों में निराई, गुड़ाई इत्यादि का कार्य करने के पश्चात शाम को घर पर सबके लिए भोजन पकाने की जिम्मेदारी निभाती है। विश्व खाद्य एवम कृषि संगठन के एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में एक एकड़ खेत में औसतन एक बैल 1064 घंटे, पुरुष किसान 1212 घंटे और

एक महिला किसान 3485 घंटे कार्य करती हैं जिसमें से 10 प्रतिशत से भी कम महिलाएं खेतों की मालकिन हैं शेष तो खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करती हैं। इस तरह हम देखते है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पुरुष कृषकों की तुलना में महिला कृषकों की स्थिति बहुत खराब है।

श्रम मूल्य:

भारत में श्रमिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में संलग्न है जिसमें महिला श्रमिकों की बहुत बड़ी भागीदारी है। आमतौर पर महिलाओं को सस्ते श्रम का एक मुख्य स्रोत समझा जाता है। पुरुषों का शहरों की ओर पलायन से महिलाएं अब कृषि कार्यों में मजदूर के तौर पर सस्ती मजदूरी मूल्य पर कार्य करती है। इन्हें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम श्रम मूल्य मिलता है। 2017 में प्रकाशित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन के अनुसार भारत में कृषि में संलग्न पुरुष खेतिहर श्रमिकों की औसत मजदूरी 264 रुपए है तो वही महिला कृषि श्रमिकों को 205 रुपए मिलते है अर्थात पुरुष श्रमिकों की तुलना में लगभग 22% काम मजदूरी पर औरतें कार्य करती हैं। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार महिला कृषि मजदूरों को न्यायोचित मजदूरी एवं महिला कृषक के रूप में उनके अधिकार परिवार और समाज के निर्माण में अनिवार्य मौलिक इकाई है। कृषि कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों को यदि न्यायोचित सुनिश्चित आय मिले तो यह परिवार एवं समाज के विकास का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।

स्वास्थ्य:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कृषि कार्य को स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य अत्यधिक खतरनाक माना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे विकासशील देशों में आज भी 60%- 80% खाद्य का उत्पादन महिलाओं के द्वारा किया जाता है और अधिकांश महिलाओं को उचित

प्रशिक्षण नहीं मिलता ना ही उनके पास उन्नत कृषि उपकरण होते है। स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु महिला किसानों के पास दस्ताने, एप्रेन, जूते या मास्क भी नहीं उपलब्ध कराए जाते है। भारत में अधिकांश जोते छोटी होती है जिससे उन्नत यांत्रिक उपकरण भी अनुपलब्ध रहते है। आर्थिक विवशता के कारण प्रदूषित वातावरण में खेतों में कार्य करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बदतर हो रही है जिसके कुछ विभिन्न उदाहरण है-

भारतीय चिकित्सा शोध परिसंघ के एक सर्वे के अनुसार पूर्वी गोदावरी जिले में होने वाली तंबाकू की खेती, जिससे 8000 करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात करके कमाया जाता है उसमें सलग्न महिलाओं के लिए यह सर्वाधिक खतरनाक काम है। यहां निराई, गुड़ाई, कटाई और बंडल की बंधाई का सारा कार्य महिलाएं करती है जिसमें होने वाले खतरों से महिलाओं को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं किया गया है।

राजस्थान के राजसमंद में हुए शोध में यह पाया गया कि जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव और सही सुरक्षा उपकरणों के अभाव में लगातार घंटों भर तक झुक कर काम करने से महिलाएं समय से पहले ही वृद्ध हो जा रही है। महाराष्ट्र में गन्ना के खेतों में कार्य करने वाली महिलाओं को तो अपने गर्भाशय को निकलवाना पड़ता है ताकि मासिक धर्म के दौरान उन्हें छुट्टी न लेनी पड़े। ठेकेदार गन्ना कटाई में कार्य करने वाले पति पत्नी को एक ही इकाई मानकर अनुबंध करता है कि प्रतिदिन की अनुपस्थिति पर 500 रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा जबकि उनको एक दिन की गन्ना कटाई के मात्र 250 रूपए ही दिए जाते है।

निष्कर्ष:

उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य स्पष्ट होता कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है; खेती एक घाटे का सौदा होने के आय के वैकल्पिक स्रोत की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष किसानों का विस्थापन शहरों की ओर हुआ है जिससे पूरे कृषि का भार महिलाओं ने संभाल लिया है फिर भी महिलाएं एक किसान के तौर पर पहचान के संकट से जूझ रही है उन्हें गृहणी का दर्जा दे दिया जाता है। इसलिए यह अतिआवश्यक हो जाता है कि खेतिहर महिलाओं को भी किसान के तौर पर पहचाना जाए ताकि महिलाएं भी एक किसान को मिलने वाले सरकारी योजनाओं के लाभ उठा सकें। यदि सरकार को वास्तव में खेती को बचाना है तो खेती को जीवंत रखने वाली अन्नापूर्णाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता देनी होगी। सुरक्षित कृषि उपकरण, कीटनाशक एवम जहरीले रसायनों के उपयोग के लिए आवश्यक प्रतिरोधी पोशाकों को भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से महिला किसानों को समुचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है जिससे कि वे कृषि यंत्रों एवम कीटनाशक, उर्वरकों एवम रसायनिक खाद के व्यवहारिक प्रयोग की जानकारी हो। ग्रामीण महिला किसानों के लिए सरकार की तरफ से नियमित स्वास्थ्य की जांच और निःशुल्क दवाओं की व्यवस्था करने की जरूरत है। खेतों में कार्य करने के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले शोषण को अत्यधिक गंभीरता से लेकर कार्यवाही करने की जरूरत है।

किसान महिलाओं को वास्तव में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की मंडियों तक पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए तो वही दूसरी ओर डिजिटल भुगतान के बारे में भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि जो महिलाएं वर्षों हजारों किस्म की देशी बीजों को बाढ़ और सूखे से सुरक्षित रखती आई है वे बीज संरक्षण और कृषि यंत्रों के उपयोग से जुड़ी हुई नए जानकारी का लाभ भी आसानी से उठा सके।

संदर्भ सूची-

1. शर्मा, देविंदर(2013), 'मुठ्ठी भर दानों के लिए', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. पटनायक, किशन(2006), 'किसान आंदोलन: दशा और दिशा, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि. नई दिल्ली।

3. जाफरी, अफसर(2015), ' विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यू.टी.ओ) द्वारा व्यापार का उदारीकरण: कृषि और किसानों की बरबादी', फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ प्रकाशन, दिसंबर 2015, नई दिल्ली।
4. सेवेंटी इयर्स ऑफ फार्मर्स जर्नी(रिपोर्ट), भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद, नई दिल्ली।
5. शर्मा, नीलमणि(2018), भारतीय किसान : दशा व दिशा, अगस्त 2018
6. नायर, प्रीता (2021), " महिला किसान: खेत खलिहान की गुमनाम बेटियां", आउटलुक, 8 फरवरी 2021
7. जेंडर गैप इन लैंड ऑनरशिप https://www.ncaer.org/news_details.php?nID=252&nID=252
8. वार्षिक रिपोर्ट(2020-21) कृषि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय।